न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 30 / 2025	2025 / 67	11.02.2025	19.02.2025

1– गिर्राज प्रसाद पुत्र चन्दराम,
2– धर्मपाल पुत्र चन्दराम,
3– पारा पत्नी चन्दराम,
4– सन्तरा पुत्री चन्दराम,
5– सोराज पुत्र चन्दराम जातियान जाटव निवासीगण ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 21.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1474 वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री खैमचन्द धमाणी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1474 निर्णय दिनांक 21.11.2024 वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान के पिता व पति चन्द्रराम का स्वर्गवास दिनाक 11.07.2024 को गया जिसकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु अपीलान्टान के द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष विरासत का नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र, शपथ–पत्र, नकल मृत्यू प्रमाण–पत्र पेश किये, जिनके आधार पर पटवारी हल्का ने आलोंच्य नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत के द्वारा हस्ताक्षर नही होने व कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया गया, जबकि मिन अपीलान्टान के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर आवेदन मय दस्तावेजात के पेश किया गया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा विधि के प्रावधानुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया, किन्तु तहत अदालत द्वारा मनमाने तौर पर हस्ताक्षर नही होने व कार्यवाही पूर्ण न होने का कारण अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टान को कोई सूचना नही दी गयी, यदि भूलवशः कोइ कमी भी रही तो उसकी पूर्ति अपीलान्टान के द्वारा की जा सकती थी, जो न्यायायोचित था। मगर तहत अदालत द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर कोई ध्यान नही दिया। आलोच्य आदेश खारिज किये जाने से अपीलान्टान के अधिकारो पर भारी कुठाराधात होता है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

जानकारी मिन अपीलान्टान को सर्वप्रथम दिनाक 07.01.2025 को हुई, जब पटवारी हल्का के पास नकल लेने हेतु गये। जानकारी होने पर नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया। नकल हासिल कर कानूनी सलाह मशवरा कर अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर यह अपील बिना देरी किये पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.11.2024 से दिनाक 07.01.2025 का समय गुजरा है, वह जानकारी के अभाव में गुजरा है, को कन्डोन किये जाने योग्य है। अत अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1474 ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 21.11.2024 वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 1474 के विरूद्व दिनाक 10.01.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 9 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.11.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 07.01.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्टान के पिता व पति चन्द्रराम का स्वर्गवास दिनाक 11.07.2024 को गया जिनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष विरासत का नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र, शपथ–पत्र, नकल मृत्यू प्रमाण–पत्र पेश किये गये। जिनके आधार पर पटवारी हल्का ने आलोंच्य नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत के द्वारा हस्ताक्षर नही होने व कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया गया, जबकि अपीलान्टान के द्वारा समपूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अनुसार पूर्ण कर आवेदन मय दस्तावेजात के पेश किया गया था, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा विधि के प्रावधानुसार भरकर पेश किया गया था, किन्तु तहत अदालत द्वारा मनमाने तौर पर हस्ताक्षर नही होने व कार्यवाही पूर्ण न होने का कारण अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टान को कोई सूचना नही दी गयी है, यदि भूलवशः कोई कमी भी रही तो उसकी पूर्ति की जा सकती थी, तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जॉच कर अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1474 वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल तिजारा (राज.)